



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक 1963 / प्रशा / 2023

भोपाल, दिनांक 07/10/2023

:: आदेश ::

विश्वविद्यालय में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (प्रीवेन्शन, प्रॉहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट, 2013 के भाग-4 के अंतर्गत इन्टरनल कम्प्लेंट्स) तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना, दिनांक 02 मई, 2016 के रेग्युलेशन 2015 के बिन्दु क्रमांक-4 में दिये गये निर्देशानुसार महिला उत्पीड़न एवं हिंसा के विरुद्ध प्रकोष्ठ का गठन निम्नानुसार किया जाता है :-

- | | | | |
|----|--|---|-----------------------|
| 1. | प्रो. साधना सिंह, प्राध्यापक, भौतिक विभाग | - | संयोजक |
| 2. | प्रो. अनिता धुर्वे, प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग | - | सदस्य |
| 3. | डॉ. पिकी गोखले, सहायक प्राध्यापक, आर.पी.ई.जी. विभाग | - | सदस्य |
| 4. | डॉ. आरती डावर, सहायक प्राध्यापक, भू-विज्ञान | - | सदस्य |
| 5. | डॉ. सुनील रनेही, सहायक प्राध्यापक, माइक्रोबायोलॉजी विभाग | - | सदस्य |
| 6. | श्रीमती शरद पटेल, सहायक कुलसचिव, गोपनीय शाखा | - | प्रस्तुतकर्ता अधिकारी |

आदेशानुसार


कुलसचिव

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल
भोपाल, दिनांक 07/10/2023

पृ.क्रमांक 1964 / प्रशा / 2023
प्रतिलिपि:-

1. संबंधित सदस्यों की ओर सूचनार्थ।
2. प्रभार वेबसाइट सेल, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय की ओर इस आशय के साथ की उपरोक्त आदेश विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलोड करना सुनिश्चित करे।
3. निज सचिव के माध्यम से माननीय कुलपतिजी की ओर सादर सूचनार्थ।
4. निजी नस्ती।


सहायक कुलसचिव (प्रशासन)
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल